समक्ष एम. आर. शर्मा, न्यायमूर्ति

रणबीर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

केन आयुक्त, हरियाणा और अन्य- उत्तरदाताओं

सिविल रिट याचिका **1977** का **1315** नवंबर।

22 नवंबर, **1978**।

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम *(1961* का *25)*-धारा *26,27* और *85 (38)*-रोजगार विनिमय *(*रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना*)* अधिनियम *(31 of 1959)*धारा *2 (2) (*च*) (3)-1961* अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति-क्या राज्य सरकार द्वारा *'*नियंत्रित*' (3)-* धारा *85 (38)* में शब्द *'*योग्यता*'*-सहकारी समिति में पदों को भरने का अर्थ-रोजगार विनिमय का संदर्भ-क्या आवश्यक है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, *1961* के तहत पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है। सोसायटी की स्थापना राज्य अधिनियम के तहत की जा सकती है, लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित नहीं कहा जा सकता है। यह सच है कि पंजीयक एक सहकारी समिति को पंजीकृत करने के लिए सक्षम है। अनुमोदित उपनियमों के आधार पर सोसायटी के साथ निवेश किया जाता है। यदि ऐसी समिति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो अपनी प्रबंध समिति का स्थान लेने की अधिकारिता। यह भी सच है कि रजिस्ट्रार को सोसायटी के दो सदस्यों के बीच के विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने, पुरस्कारों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियां दी गई हैं और उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के अधीन है। इन सभी प्रावधानों पर जब सामूहिक रूप से विचार किया जाता है तो यह पता चलता है कि रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से यह देखने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया जाता है कि एक सहकारी समिति ठीक से पंजीकृत है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सिद्धांतों पर काम करती है। अपनी गतिविधियों के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर, एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति को अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए बेलगाम विवेकाधिकार है जिसके लिए उसने पीएन को पंजीकृत किया है। "सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन" शब्द अनिवार्य रूप से यह दर्शाते हैं कि किसी सोसायटी या कंपनी की प्रबंधन समिति में सरकार का बहुमत नियंत्रण होना चाहिए। जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी को कुछ सीमा तक अभिदान किया है या उसे किसी विशेष श्रेणी के अग्रिम ऋण दिए हैं, वहां उसे ऐसी समिति का अपना अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक नामित करने का अधिकार होगा और ऐसी समितियों के मामले में यह कहा जा सकता है कि सरकार उनका नियंत्रण करती है। लेकिन जहां किसी सोसायटी की प्रबंध समिति का चुनाव केवल उसके अपने सदस्यों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी सोसायटी को रोजगार विनिमय *(*रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, *1959* की धारा *2* की उप-धारा *2 (*च*)* के अर्थ में सरकार के नियंत्रण में नहीं कहा जा सकता है।

*(*पैरा *2,3)*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 85 (38) में प्रयुक्त 'अर्हता' शब्द किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत प्राप्ति को दर्शाता है। किसी विशेष पद पर बने रहना उनका विशिष्ट गुण है। यदि किसी पद के लिए कोई उम्मीदवार अपने आवेदन को एक रोजगार विनिमय के माध्यम से भेजता है जो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में वृद्धि नहीं करता है। इस शब्द का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सरकार यह निर्धारित करने वाला नियम बना सकती है कि सोसायटी के सेवकों के एक विशेष वर्ग की भर्ती केवल एक रोजगार विनिमय के माध्यम से की जानी चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी सहकारी समिति में पदों को भरने के लिए, नियोजित होने के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम बुलाने के लिए रोजगार विनिमय का संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। (पैरा 5 and 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि-(i) प्रत्यर्थी संख्या 1, दिनांक 28 मार्च, 1977, अनुलग्नक पी 3 के आदेश को निरस्त करने वाली प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए; (ii) प्रत्यर्थी संख्या 1 को सोसायटी के सचिव के रूप में याचिकाकर्ता संख्या 3 की नियुक्ति के अनुमोदन को गलत और गैर-मौजूद आधारों पर न रोकने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, जारी किया जाए।

(iv) मामले के अभिलेखों को भेजने का आदेश दिया जाए; (v) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिया जाए क्योंकि उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सिंह।

हरियाणा ए. जी. की ओर से अधिवक्ता बलवंत सिंह मलिक।

निर्णय

एम. आर. शर्मा, न्यायमूर्ति :-

(1) मुस्तफाबाद केन ग्रोवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी, मुस्तफाबाद, प्रतिवादी संख्या 3 (इसके बाद 'सोसायटी' के रूप में संदर्भित) पंजाब सहकारी समितियों अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इस सोसायटी ने 225-430 रुपये के वेतनमान में सचिव के पद का विज्ञापन किया और उक्त विज्ञापन 8 जनवरी, 1977 के 'डेली नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित हुआ। याचिकाकर्ता ने इस पद के लिए सोसायटी में आवेदन किया और साक्षात्कार के बाद उसे उसी के लिए चुना गया। सोसायटी को नियंत्रित करने वाले उपनियमों के उपनियम 27 में कहा गया है कि सोसायटी की प्रबंध समिति रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन एक उपयुक्त व्यक्ति को सचिव के रूप में नियुक्त करेगी। याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया था और उसके मामले को मंजूरी के लिए अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना आयुक्त को भेजा गया था। गन्ना आयुक्त ने इस आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी कि उसके नाम की सिफारिश रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (इसके बाद '1959 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर की है जिसमें सोसायटी के सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा अनुमोदन के गैर-समझौते को इस

आधार पर चुनौती दी गई है कि 1959 का अधिनियम मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं था। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 (i) इस प्रकार हैः -

(2) (च) "सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान" से निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाला प्रतिष्ठान अभिप्रेत हैः-(1) सरकार या सरकार का कोई विभाग; (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी; (3) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम (सहकारी समिति सहित) जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में हो; (4) एक स्थानीय प्राधिकरण।

(2) सोसायटी 'निगम' शब्द के दायरे और दायरे में आती है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि यह सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन में है या नहीं। यह विवादित नहीं है कि सोसायटी को एक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसका प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके सदस्यों द्वारा चुनी गई एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। यह कठिनाई 1959 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपखंड (8) में प्रयुक्त "नियंत्रित" शब्द के कारण उत्पन्न हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री मलिक ने अधिनियम की धारा 27 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है जो रजिस्ट्रार को एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति का स्थान लेने में सक्षम बनाता है। इस आधार पर उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सहकारी समिति को 1959 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपखंड (3) के अर्थ में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित निगम माना जाना चाहिए।

(3) पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के पश्चात्, मेरा यह मत है कि श्री मलिक द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट 1959 के अधिनियम में प्रयुक्त 'नियंत्रण' शब्द का जो अर्थ निर्दिष्ट किया गया है, वह इस शब्द को निर्दिष्ट किया जाने वाला सही अर्थ नहीं है। तत्काल मामले में सोसायटी, निस्संदेह, एक राज्य अधिनियम के तहत स्थापित है, लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रजिस्ट्रार अनुमोदित उपनियमों के आधार पर एक सहकारी समिति को पंजीकृत करने के लिए सक्षम है और यदि ऐसी समिति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उसकी प्रबंध समिति का स्थान लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया जाता है। यह भी सच है कि रजिस्ट्रार को सोसायटी के दो सदस्यों के बीच के विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने, पुरस्कारों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियां दी गई हैं और उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के अधीन है। इन सभी प्रावधानों पर जब सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो यह केवल यह दर्शाता है कि रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से यह देखने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया जाता है कि एक सहकारी समिति ठीक से पंजीकृत है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सिद्धांतों पर काम करती है। अपनी गतिविधियों के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक सहकारी समिति की प्रबंध समिति को अपने व्यवसाय का संचालन करने का बेलगाम विवेकाधिकार है जिसके लिए इसे पंजीकृत किया गया है। "सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित" शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी के सादृश्य पर ध्यान देना उपयोगी होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत भी यह कंपनी का पंजीयक होता है जो किसी कंपनी को पंजीकृत करने और यह देखने के लिए जिम्मेदार होता है कि कंपनी उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से अपना व्यवसाय करती है जिसके तहत इसे शामिल किया गया है। अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग

करके, कंपनी पंजीयक को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नियंत्रक नहीं कहा जा सकता है। ऐसी कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार व्यवसाय करने का बेलगाम विवेकाधिकार भी है। "सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन" शब्द अनिवार्य रूप से यह दर्शाते हैं कि किसी सोसायटी या कंपनी की प्रबंधन समिति में सरकार का बहुमत नियंत्रण होना चाहिए। उस संबंध में अधिनियम की धारा 26 का उल्लेख करना उपयोगी होगा जिसमें यह विशेष रूप से उपबंध किया गया है कि जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी को कुछ सीमा तक अभिदान किया है या उसे किसी विशेष श्रेणी के अग्रिम ऋण दिए हैं, वहां उसे ऐसी समिति के अपने स्वयं के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को नामित करने का अधिकार होगा। उन सहकारी समितियों के मामले में, यह कहा जा सकता है कि सरकार उन्हें नियंत्रित करती है। लेकिन जहां किसी सोसायटी की प्रबंध समिति का चुनाव केवल उसके अपने सदस्यों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी सोसायटी को 1958 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 (च) के अर्थ के भीतर सरकार के नियंत्रण में नहीं कहा जा सकता है।

(4) इस स्थिति का सामना करते हुए श्री मलिक ने अधिनियम की धारा 85 (38) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैःसमिति के सदस्यों और समाज या समाज के वर्ग के कर्मचारियों के लिए अर्हताएं और सेवा की शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को समाज द्वारा नियोजित किया जा सकता है।

(5) विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उपरोक्त प्रावधानों में प्रयुक्त उसके कर्मचारियों की योग्यता शब्द यह होगा कि सरकार एक नियम बना सकती है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सोसायटी के सेवकों के एक विशेष वर्ग की भर्ती केवल रोजगार विनिमय के माध्यम से की जानी चाहिए। शॉर्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 'योग्यता' शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं। इसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-"योग्यता।शर्त को अर्हता प्राप्त करने की कार्रवाई या, योग्य होने का तथ्य; जो योग्य है 1. संशोधन, सीमा, प्रतिबंध; एक संशोधित या सीमित करने वाला तत्व या परिस्थिति। 2. किसी व्यक्ति या वस्तु का विशिष्ट गुण; स्थिति, चरित्र, प्रकृति।

(6) प्रत्यर्थी के वकील श्री मलिक ने तर्क दिया है कि यदि 'योग्यता' शब्द का अर्थ सीमा या प्रतिबंध लगाना है तो राज्य सरकार के लिए यह प्रतिबंध लगाने के लिए खुला होगा कि सहकारी समितियों को केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जिनके नाम रोजगार विनिमय द्वारा अग्रेषित किए गए हैं। हालाँकि, मैं इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। उपर्युक्त नियम में दिखाई देने वाला 'योग्यता' शब्द एक उम्मीदवार की व्यक्तिगत प्राप्ति को दर्शाता है। किसी विशेष पद पर बने रहना उनका विशिष्ट गुण है। यदि किसी पद के लिए कोई उम्मीदवार अपने आवेदन को एक रोजगार विनिमय के माध्यम से भेजता है जो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में वृद्धि नहीं करता है। अन्यथा भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आम तौर पर पदों के लिए विभिन्न आवेदकों के नामों को क्रमबद्ध करता है और योग्यता के आधार पर भावी नियोक्ताओं को उनकी सिफारिश करता है जो उनमें निहित है या जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। किसी विशेष चैनल के माध्यम से किसी व्यक्ति के आवेदन का केवल मार्ग निर्धारण किसी भी तरह से उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं करता है। इन सभी कारणों से मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 85 (38) में प्रयुक्त 'अर्हता' शब्द का वह अर्थ नहीं दिया जा सकता है जो श्री मलिक के निवेदन के अनुसार उसे सौंपा जाए। एक बार जब ऐसा माना जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गन्ना आयुक्त के लिए यह आग्रह करना खुला नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम एक रोजगार विनिमय द्वारा सोसायटी को अग्रेषित किया जाना चाहिए था। उन्होंने याचिकाकर्ता के नाम की मंजूरी को रोकने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया है।

(7) इन परिस्थितियों में, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और गन्ना आयुक्त को इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उसका नाम रोजगार विनिमय द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया है, कानून के अनुसार सोसायटी के सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर पुनर्विचार करने का निर्देश देता हूं। याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी गई है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा